अति आवश्यक/तिथिबद्ध

प्रेषक

महानिदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में

राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादि क्रमांक 03/08–2023 छात्रवृति (1)
दिनांक 15/5/2025

विषय :– **प्रोत्साहन स्कीमों (छात्रवृति/आर0टी0ई0) के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 के विद्यार्थियों के बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक IFSC Code तथा परिवार पहचान पत्र (PPP ID No.) को One School App Portal पर अपडेट करने बारे।**

....

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र क्रमांक 03/08–2023 छात्रवृति (1) दिनांक 18–04–2025, 08–05–2025 की निरन्तरता में।

संदर्भित पत्रों के तहत आपको **कक्षा 1 से 8वीं** तक की विभिन्न छात्रवृति/प्रोत्साहन स्कीमों के अन्तगर्त वित्त वर्ष 2025–26 में **छात्रवृति, वर्दी, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी भत्ता** की राशि प्रदान करने के लिए दाखिले के समय विद्यार्थियों के परिवार पहचान पत्र व बैंक से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी One School App Portal पर अपडेट नहीं है, उन सभी विद्यार्थियों की One School App Portal से डाउनलोड की गई सॉफ्ट कॉपी की प्रति आपको ई–मेल के माध्यम से भेजते हुए स्कीमानुसार One School App Portal पर विद्यार्थियों का पूर्ण डाटा जिसमें क्रमशः **परिवार पहचान पत्र का आई0डी0 नम्बर, विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या, बैंक IFSC Code एवं बैंक के नाम सहित पूर्ण डाटा दिनांक 12–05–2025 तक हर अवस्था में पूर्ण करने बारे** लिखा गया था। परन्तु अभी तक आपके कार्यालय द्वारा डाटा अपडेट नहीं किया गया, जोकि एक गम्भीर चूक को दर्शाता है। इस बारे अधिकारीगण द्वारा मामले को गम्भीरता से लिया गया है।

उक्त बारे OSD/PSSE महोदय द्वारा आदेश प्रदान किए गए है कि आप अपने अधीनस्थ विद्यालयों के मुखिया को आदेश देवें कि छात्रवृति/प्रोत्साहन स्कीमानुसार One School App Portal पर विद्यार्थियों का पूर्ण डाटा जिसमें क्रमशः **परिवार पहचान पत्र का आई0डी0 नम्बर, विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या, बैंक IFSC Code एवं बैंक के नाम सहित पूर्ण डाटा दिनांक 20–05–2025 तक हर अवस्था में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों के बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया को भी पूर्ण करें**, ताकि सभी विद्यार्थियों को छात्रवृति/प्रोत्साहन स्कीमों में छात्रवृति, वर्दी, स्कूल बैग एवं स्टेश्नरी भत्ता की राशि का लाभ सीधे तौर पर DBT/PFMS के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जा सके। विद्यार्थियों का डाटा पूर्ण नहीं भरे जाने के अभाव में कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृति/प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में वंचित रह जाता है तथा विद्यार्थियों को छात्रवृति/प्रोत्साहन की दी जाने वाली राशि में अगर किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी/वितिय अनियमितता होती है तो इसके लिए आपका कार्यालय, खण्ड शिक्षा अधिकारी, विद्यालय का मुखिया एवं कक्षा इंचार्ज पूर्ण रूप में जिम्मेवार होंगें।

उक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना करना सुनिश्चित करें।

सहायक निदेशक छात्रवृति
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

E:\Letter.docx